न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 17 / 2026 दर्ज दिनांक : 05.02.2026

श्रमीती कान्ता बजाज पत्नी सुशील कुमार बजाज जाति अग्रवाल निवासीनी वार्ड नम्बर 57, मन्त्री मार्ग चूरू जरिये मुख्तयार सुशील कुमार बजाज पुत्र श्री स्व. मुरारीलाल बजाज जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 57, मन्त्री मार्ग, चूरू

बनाम

1. मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी जरिये पुजारी (महन्त) श्री विद्याद्यर पुत्र हरीराम जाति स्वामी बड़ा मन्दिर चूरू
2. ताराचन्द पुत्र रामश्वर जाति माली निवासी सिंगी पार्क के पास, चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू जरिये प्रबंधक

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–शिवसिंह
अप्रार्थीः–हीरालाल
प्रार्थना पत्रः– आदेश–09 नियम–09
व प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

: निर्णय :

प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 09 नियम 09 सीपीसी सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया है कि

उपरोक्त अनुवानी दावा प्रार्थिनी की और से जरिये मुख्तयार श्रीमानजी के न्यायालय में जेरकार था जिसमें गत पेशी दिनाक 29–10–2024 मुकर्र थी। उक्त पेशी पर दावा व स्टे प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब देही अप्रार्थीगण हेतु मुकर्र थी इसलिए प्रार्थीनी बादिनी को दावे की पेशी संबंधित कोई सूचना नहीं थी। यह कि श्रीमानजी का कोर्ट व श्रीमान जिला एवं सत्र कोर्ट अलग–अलग जगह स्थित होने व दूरी ज्यादा होने के कारण जिस समय श्रीमानजी द्वारा कोर्ट अलग–अलग जगह में सुनवाई शुरू की गई थी उस समय प्रार्थीनी का अधिवक्ता श्रीमान जिला एवं सत्र कोर्ट के अधिनस्थ कोर्टों में गवाहन के बयान देने में व्यस्त होने के कारण श्रीमानजी के कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका जिसके कारण श्रीमानजी के द्वारा प्रार्थीनी वादीनी का दावा आदम पैरवी व आदम हजारी में खारीज कर दिया गया। वादीनी के अधिवक्ता के द्वारा वादीनी को जानकारी नहीं दी गयी वादीनी द्वारा बार–बार अपने दावे की जानकारी नहीं देने पर वादीनी द्वारा माननीय न्यायालय मे गया तो वादीनी के अधिवक्ताओं द्वारा वादीनी [illegible] बताया गया तो वादीनी द्वारा अपना अधिवक्ता समर्पण प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा [illegible] कि प्रार्थीनी के अधिवक्ताओं की उपर वर्णित परिस्थितियों में रही अनुपस्थिति [illegible] व आदम हाजरी में खारीज हुए दावे को पुनः रेस्टार नहीं किया गया तो [illegible] कभी पूरा न होने वा[illegible]न हो जाएगा वादीनी / प्रार्थीनी को भारी इरादों व कठिनाइयों [illegible] सामना करना पड़ेगा त[illegible]र्थीनी सही न्याय प्राप्ति से वंचित होना पड़ेगा। यह कि प्रार्थीनी के अधिवक्ताओं को दावे के आदम पैरवी व आदम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:29 IST
Reason: SelfAttested

हाजरी में खारिज होने के आदेश का पता चलते ही वादीनी / प्रार्थीनी की ओर से पेश दावे को रेस्टोर कराने का यह आवेदन पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि 29.10.2024 को प्राथिनी का दावा आदम पैरवी व आदम हजारी में खारिज करने का पारित आदेश खारिज फरमाया जाकर दावा को पुनः वाजवा नंबर पर लिया जाकर प्रार्थीनी को गवाही व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जावे। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा उपस्थित व अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता हीरालाल उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया।

यह कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के स्पष्टीकरण गलत वा आधारहीन तव्य लिखकर पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। दावा की पेशी संबंधी सूचना नहीं होने के तथ्य भी गलत लिखे हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। वादीनी को अपने द्वारा पेश दावे की पेशी की जानकारी स्वयं को रखनी चाहिये थी। न्यायालय द्वारा दावे की पेशी की सूचना वादीनी को दिया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है।

यह कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश पारित होने की तिथि से लगभग 02 वर्ष बाद पेश किया जा गया है जो बिना किसी आधार के अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निर्धारित मियाद में पेश नहीं किया गया है वा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है दावा खारिज होने के 30 दिन के अन्दर अन्दर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। इसलिए मियांद बाहर पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

यह कि प्रार्थी द्वारा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 के अन्दर कोई पृथक शपथ पत्र समर्थित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिना धारा 05 मियाद अधिनियम पेश किया गया यह आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

यह कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन कि प्रार्थी के अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय में व्यस्त होना बताया जबकि प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया गया है कि कौनसी पत्रावली में कौन कौन गवाह से बयान करवाये थे। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य काल्पनिक वा आधारहीन एवं गलत लिखे हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। वादीनी ने कब माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली की जानकारी प्राप्त की, जानकारी की बात पत्रावली में कहीं भी अंकित नहीं की गई है ना ही वादीनी ने कहीं कोई दिनांक अंकित किया कि वादीनी को इस बात की तथ्य लिखकर प्रार्थना पत्र 'पेश किया है। काल्पनिक वा बनावटी गलत व बिना किसी आधार के गलत तथ्य लिखकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

यह कि यह स्थापित विधि का सिद्धान्त है कि प्रत्येक वादकारी का यह दायित्व है कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक पेशी पर [illegible] में उपस्थित रहे, केवल यह कहे मात्र से कि अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होना विधिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीनी ने प्रार्थना पत्र में [illegible] का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं वर्णित किया है। प्रार्थना पत्र में कानूनन प्रार्थना पत्र में हुए प्र[illegible] दिन के विलम्ब का युक्ति युक्त कारण बताया

जाना चाहिए था जो प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर वा आधारहीन वा गलत तथ्य लिखकर पेश किया गया होने से खारिज करने योग्य है। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि

प्रार्थीनी की ओर से विनम्र निवेदन है कि मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी दिनांक 29.10.2024 को पेशी नियत थी। उक्त दिन प्रार्थीनी के अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में गवाहों के बयान कराने में व्यस्त होने तथा न्यायालयों के भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्थित होने के कारण समय पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके परिणामस्वरूप वाद आदम पैरवी एवं आदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीनी स्वयं एक सामान्य महिला है तथा वाद की कार्यवाही पूर्णतः अपने अधिवक्ता के माध्यम से संचालित कर रही थी। अधिवक्ता द्वारा वाद खारिज होने की सूचना समय पर नहीं देने के कारण प्रार्थीनी को आदेश की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थीनी ने बिना अनावश्यक विलम्ब के वर्तमान पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वाद के गुण–दोष पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है तथा वाद केवल तकनीकी कारण से खारिज हुआ है। न्यायालयों का उद्देश्य पक्षकारों को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित करना नहीं बल्कि वास्तविक विवाद का गुण–दोष के आधार पर निर्णय करना है। यदि वाद पुनः बहाल नहीं किया गया तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी तथा वह अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाएगी। अप्रार्थी द्वारा विलम्ब का जो आपत्ति उठाई गई है, उसके संबंध में निवेदन है कि प्रार्थीनी को आदेश की जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई तथा तत्पश्चात यथाशीघ्र यह आवेदन प्रस्तुत किया गया। देरी जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश नहीं की गई है। न्यायहित में तकनीकी त्रुटियों की अपेक्षा वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर दिनांक 29.10.2024 का आदम पैरवी एवं आदम हाजरी का आदेश निरस्त कर मूल वाद को पुनः अपने मूल क्रमांक पर बहाल करने की कृपा करें तथा प्रार्थीनी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पूर्णतः आधारहीन, मियादबाह्य एवं विधि विरुद्ध है, अतः खारिज किया जाना न्यायोचित होगा। वाद दिनांक 29.10.2024 को आदम पैरवी एवं आदम हाजरी में खारिज हुआ था, जबकि वर्तमान आवेदन लगभग दो वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. के अंतर्गत ऐसा आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रार्थीनी ने विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कोई पृथक आवेदन अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार्य है। प्रार्थीनी द्वारा अधिवक्ता के अन्य न्यायालय में व्यस्त होने का जो कारण बताया गया है, वह अस्पष्ट एवं अप्रमाणित है। आवेदन में यह तक उल्लेख नहीं किया गया कि किस न्यायालय में, किस वाद में अथवा किन गवाहों के बयान हेतु अधिवक्ता उपस्थित थे। अतः कथित कारण केवल काल्पनिक एवं बाद में बनाया गया प्रतीत होता है। यह स्थापित विधि सिद्धान्त है कि प्रत्येक वादकारी का यह दायित्व है कि वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक [illegible] रहे। न्यायालय द्वारा प्रत्येक पेशी की व्यक्तिगत सूचना देना आवश्यक नहीं है। प्रा[illegible] ने [illegible] भी स्पष्ट नहीं किया कि उसे आदेश की जानकारी कब प्राप्त हुई तथ[illegible] कितने समय बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक दिन के [illegible]टीकरण आवश्यक था, जो पूर्णतः अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र मियादबाह्य, तथ्यहीन एवं वि[illegible] विरुद्ध होने से खारिज किया जाना न्यायहित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:29 IST
Reason: SelfAttested

उचित होगा। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल वाद दिनांक 29.10.2024 को प्रार्थीनी अथवा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण आदम पैरवी एवं आदम हाजरी में खारिज किया गया था। वर्तमान पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. के अंतर्गत वाद पुनर्स्थापन हेतु आवेदन नियत अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदन निर्धारित अवधि के काफी विलम्ब पश्चात प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कोई पृथक आवेदन अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत कारण कि उसके अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त थे, सामान्य एवं अस्पष्ट प्रकृति का है। आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अधिवक्ता किस न्यायालय में, किस वाद में अथवा किन गवाहों के बयान हेतु उपस्थित थे। इसी प्रकार प्रार्थीनी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उसे वाद खारिज होने की जानकारी कब प्राप्त हुई तथा जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगा। विलम्ब के प्रत्येक दिन का संतोषजनक स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि प्रत्येक वादकारी का यह दायित्व है कि वह अपने वाद की नियमित पैरवी करे तथा स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहे। मात्र अधिवक्ता के व्यस्त होने का सामान्य कथन पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता।

आदेश है कि

प्रार्थीनी द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण सिद्ध नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मियादबाह्य होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने स प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 09 अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

उक्त निर्णय आज 06.05.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:29 IST
Reason: SelfAttested